५१

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 117–तीन/1997 – विरूद्ध आदेश दिनांक 31 मार्च, 1997 – पारित व्दारा – आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 339/1993–94 अपील

1– रामानुज सिंह पुत्र रघुनाथदीन कुर्मी
मृतक वारिस
1. रामनारायण सिंह
2. भूपाल सिंह
3. पारसनाथ सिंह पांचों पुत्रगण
4. बलिकरण सिंह स्व.रामनुज सिंह
5. लवकुश सिंह
6. श्रीमती चौबीदेवी पत्नि स्व.रामानुज सिंह
2– जयपाल 3– रामलखन 4– कोदूलाल
तीनों पुत्रगण स्व.मुनेश्वर कुर्मी
सभी ग्राम ताला तहसील अमरपाटन जिला सतना

विरूद्ध

1– बालमीक प्रसाद पुत्र दशरथ प्रसाद ब्राहमण
ग्राम शीतलपुर तहसील अमरपाटन जिला सतना
2– श्रीमती भाटाफूल पत्नि स्व. बसन्ता चमार
ग्राम ललितपुर नं0–2 तहसील अमरपाटन

(आवेदकगण के श्री एस.के.बाजपेयी अभिभाषक)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक - 11 - 01 -2019 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा के प्रकरण कमांक 339/1993–94 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–3–97 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क-1 ने तहसीलदार अमरपाटन को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 190, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि मौजा ललितपुर की भूमि सर्वे कमांक 400, 403, 407 लगायत 412 एंव 420 कुल 9 शासकीय अभिलेख में रघुनाथदीन कुर्मी के नाम पर दर्ज है किन्तु रघुनाथदीन कुर्मी ने इन भूमियों को उसके पिता दशरथ प्रसाद को संबत 1995 से पूर्व जातेने बोने के लिये दे दिया था तभी से कब्जा पुस्तैनी चला आ रहा है जिसके कारण उसे भूमि मौजा ललितपुर की भूमि सर्वे कमांक 400, 403, 407 लगायत 412 एंव 420 कुल 9 एंव सर्वे नंबर 40 तथा 411 की भूमि (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) का वह स्वत्वाधिकारी हो चुका है इसलिये उसका नाम दर्ज किया जाय।

इसी भूमि पर विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण किये जाने हेतु श्रीमती भाटाफूल पत्नि स्व. बसन्ता चमार ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दोनों आवेदनों पर कमशः प्र0क0 1 अ 46/ 1985-86 एंव 20 अ 6/1985-86 पॅजीबद्ध किये गये। दोनों प्रकरणों में सम्मिलित सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 31-3-1987 पारित किया गया एंव वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक कमांक-1 को भूमिस्वामी घोषित कर नामान्तरण के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष दो अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण कमांक 219/1986-87 अपील एंव प्रकरण कमांक 134/86-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-12-89 से तहसीलदार अमरपाटन का आदेश दिनांक 31-3-87 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। तहसील न्यायालय में प्रकरण पहुंचने पर नायब तहसीलदार वृत्त मोहारी कटरा के यहॉ पृथक पृथक तीन

प्रकरण क्रमशः 79 अ-6/89-90, 1 अ-46/85-86 तथा 20 अ 6/85-86 में एकसाथ सुनवाई की गई एंव आदेश दिनांक 23-4-1992 पारित करके अनावेदक क्रमांक-1 को भूमिस्वामी घोषित कर नामान्तरण के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी अमर पाटन ने प्र0क0 179/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-6-1994 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार वृत्त मोहारी कटरा का आदेश दिनांक 23-4-92 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक-1 ने आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा ने प्रकरण क्रमांक 339/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-97 से अनुविभागीय अधिकारी अमर पाटन का आदेश दिनांक 28-6-1994 निरस्त करते हुये तहसीलदार वृत्त मोहारी कटरा के आदेश दिनांक 23-4-92 को यथावत् रखा। आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है जब तहसीलदार अमरपाटन ने अनावेदक क्रमांक 1 एवं अनावेदक क्रमांक-2 के दावों के तथ्यों की जांच एंव सुनवाई प्रकरण क्रमांक 1 अ-46/1985-86 एंव 20 अ-6/1985-86 में की है, तब प्रकरणों में आई साक्ष्य एंव अन्य तथ्यों से अनावेदक क्रमांक-1 का दावा प्रमाणित हुआ है और आदेश दिनांक 31-3-87 पारित करके अनावेदक क्रमांक 1 को भूमिस्वामी अधिकार उत्पन्न होने से नामांत्रण

के आदेश दिये गये हैं। इस आदेश को अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण कमांक 219/1986-87 अपील एंव प्रकरण कमांक 134/86-87 अपील में संयुक्त सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22-12-89 पारित करके तहसीलदार के आदेश को निरस्त करते हुये पक्षकारों की पुनः सुनवाई एंव पुनः जांच हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के पालन में नायव तहसीलदार वृत्त मोहारी कटरा ने तीन प्रकरण कमशः 79 अ-6/89-90, 1 अ-46/85-86 तथा 20 अ 6/85-86 में एकसाथ सुनवाई की है एंव अनावेदक कमांक 1 का दावा प्रमाणित होने से आदेश दिनांक 23-4-1992 पारित करके भूमिस्वामी घोषित कर नामान्तरण के पुनः आदेश दिये हैं। जब विचारण न्यायालय में दो-दो वार हुई जांच एंव सुनवाई में अनावेदक क-1 का दावा प्रमाणित हुआ है तब ऐसे आदेश को अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन व्दारा पलट देना उचित नहीं माना जावेगा, क्योंकि आयुंक्त रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 31-3-1997 के अंतिम पद में विवेचना कर इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

" वाल्मीक प्रसाद व्दारा उसके पिता दशरथ के पक्ष में जो लेख मूल भूमिस्वामी रघुनाथ प्रसाद ने संबत 1955 याने सन 1938 में लिखकर दिया है की छायाप्रति प्रस्तुत की है साथ ही 1951-52 से लेकर अभी तक का खसरा भी प्रस्तुत किया है जिसमें उसका कब्जा दर्ज है इससे अच्छा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता।

आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 31-3-1997 में दिये गये उक्तानुसार निष्कर्ष से स्पष्ट हो जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी अमर पाटन व्दारा प्रकरण कमांक 179/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-6-1994 भ्रमपूर्ण निष्कर्षो पर आधारित है जिसके कारण आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा ने प्र0क0 339/93-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-97 से अनुविभागीय अधिकारी

अमर पाटन के आदेश दिनांक 28-6-1994 को निरस्त करते हुये तहसीलदार वृत्त मोहारी कटरा के आदेश दिनांक 23-4-92 को यथावत् रखने में त्रुटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा का आदेश दिनांक 31-3-97 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 339/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-97 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर